राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक :– एफ.6 (221)/परि/कर/मु./2003/ 62860 जयपुर, दिनांक :– 15/12/14

कार्यालय आदेश 36/14

विषय :– बकाया विशेष पथकर की वसूली।

विभाग में मंजिली/संविदा वाहनों पर बकाया विशेष पथकर की राशि में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है, जो बढ़कर दिनांक 01.04.2014 को 63.94 करोड़ रूपये हो गई है (विवरण संलग्न है), जिसका वर्षवार विवरण कराधान अधिकारी के पास संधारित मांग संग्रह पंजिका में होना अपेक्षित है। यदि किसी कराधान अधिकारी ने रेड़ ऐन्ट्री का वर्षवार ब्योरा तैयार नहीं किया है तो यह उसके स्तर पर घोर लापरवाही का परिचायक है। ऐसे कराधान अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि पुरानी मांग का वर्षवार ब्यौरा तैयार कर मांग संग्रह पंजिका में प्रविष्ट करावें।

इस संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि बकायात के जिन प्रकरणों में वाहनो के खुर्दबुर्द होने के कारण वसूली नहीं हो पा रही है, उनमें राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत वसूली कार्यवाही प्रभावी की जानी है। ज्ञातव्य है कि भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 10 सह पठित राजस्थान भू–राजस्व (भूगतान, क्रेडिट्स, रिफन्ड एवं वसूली) नियम 1958 के अन्तर्गत जिला परिवहन अधिकारी को राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम में बकाया वसूली के लिए अधिकृत किया गया है। ऐसे मामलों में कर बकाया से संबंधित की अचल संपत्ति को कुर्क किया जाकर एवं विक्रय किया जाकर वसूली की जानी है। जिन मामलों में ऐसी अचल संपत्ति करारोपण अधिकारी के क्षेत्राधिकार से बाहर अवस्थित है उनमें वह कराधान अधिकारी संबंधित जिला परिवहन अधिकारी जिसके क्षेत्र में अचल संपत्ति है को प्रोफॉर्मा TR-I में संसुचित एवं कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करेंगे।

राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 13A के तहत बकाया कर वाहन स्वामी की चल संपति कुर्क कर वसूल किये जाने का प्रावधान है। डिफाल्टर वाहन स्वामियों के बैंक खाते की जानकारी प्राप्त कर बैंक खाता सीज कर भी वसूली की

कार्यवाही की जावे। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 तथा तत्संबंधी नियमों के अन्तर्गत अग्रसर (Proceed) किये जाने की प्रक्रिया एवं अन्य समस्त जानकारियां इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 24/1998 के द्वारा पूर्व में भी जारी किये गये थे, जिनका अवलोकन किया जाकर कार्य योजना तैयार करावें।

बकाया राजस्व राशि की उत्तरोत्तर वृद्धि कराधान अधिकारियों की गैर कार्यकुशलता एवं पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की अनदेखी का घोतक है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके क्षेत्र/जिले में विशेष अभियान चलाकर दिनांक 31.03.2010 से पूर्व की बकाया राजस्व राशि का 25 प्रतिशत की वसूली चालू वित्तीय वर्ष में करना सुनिश्चित करें साथ ही वर्ष 2011–12 से 2013–14 तक की बकाया राशि संबंधित वाहन स्वामियों से दिनांक 31.12.2004 तक शत प्रतिशत वसूल की जावे। इसके लिए परिवहन अधिकारियों/निरीक्षकों/उप निरीक्षकों के लक्ष्य निर्धारित किये जावें।

यहां यह भी उल्लेखित करना उचित होगा कि राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत डिफाल्टर वाहन स्वामियों की कृषि भूमि संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिये राजस्व विभाग की 'अपना खाता' वेबसाईट को देखकर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है तथा प्राप्त जानकारी के अनुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रसर (Proceed) किया जा सकता है।

यदि किसी वाहन से बकाया राशि वसूली पर किसी सक्षम न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई हो तो न्यायालय के आदेश की प्रति भिजवाते हुए कार्यालय द्वारा रोक हटवाने के लिए की गई कार्यवाही का विवरण तथा न्यायालय द्वारा प्रकरण में निर्धारित आगामी तिथि की जानकारी दी जावे। यदि किसी राशि की वसूली के क्रम में वाहन सीज किया गया हो, तो उसको अधिकतम 90 दिवस में नियमानुसार नीलाम कर राशि वसूल कराई जावे।

सभी प्रयासों के बाद भी यदि किसी वाहन से संबंधित बकाया राशि अब वसूल किया जाना संभव नहीं हो, तो कार्यालय आदेश संख्या 37/2004 दिनांक 16.03.2004 के निर्देशानुसार इसकी अपलेखन की कार्यवाही भी की जावे। समस्त प्रकार के परिवहन अनुज्ञापत्रों के आवेदन प्रपत्र में आवेदक द्वारा उसके बैंक खाते व चल/अचल संपति का विवरण साक्ष्य सहित प्रस्तुत करने का प्रावधान किया हुआ है। लेकिन उक्त प्रावधान की

पालना नहीं कराये जाने से कर बकाया वाहन स्वामियों के बैंक खाते, चल/अचल संपति की जानकारी कार्यालय में उपलब्ध नहीं होती है जिससे बकाया कर की वसूली में कठिनाई आती है। अतः सचिव/अतिरिक्त सचिव प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारगण को निर्देशित किया जाता है कि समस्त परिवहन यानों के परमिट जारी करने से पूर्व वाहन स्वामी के बैंक खातों के एवं अन्य चल/अचल संपत्ति के विवरण साक्ष्यों सहित प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

अतिरिक्त परिवहन आयुक्तगण (जोन) मासिक बैठकों में इस राशि की वसूली कार्य को भी विस्तार से वाहनवार समीक्षा कर कार्य में गति लायेगें एवं तय लक्ष्यों के अनुरूप वसूली नही करने वाले अधिकारियों/निरीक्षकों/कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव मुख्यालय को भिजवायेंगे।

(गायत्री राठौड़)
परिवहन आयुक्त एवं
शासन सचिव

क्रमांक :– एफ.6 (221)/परि/कर/मु./2003/62860–863 जयपुर, दिनांक :– 15/12/20

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं पदेन शासन सचिव।
2. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।
3. समस्त अपर परिवहन आयुक्त (जोन)।
4. समस्त प्रादेशिक/अतिरिक्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
5. रक्षित पत्रावली।

15/12/2014

अपर परिवहन आयुक्त (कर)

(Stage Carriage and Contract Carriage) Upto Oct,2014 (Ten.)

(Rs in Lacs)

District	Balance Upto 1/4/2014	Recovery Upto Oct,14	Balance	% Recovery	Stage of Pendency Instalment	Stay In Lower Court	Stay In High Court	Stay In Deptt.	kurki	Other	Total
जयपुर	2208.02	70.70	2137.32	3.20	3.04	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00	9.76
दूदू	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग	2208.02	70.70	2137.32	3.20	3.04	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00	9.76
जयपुर (उत्तर)	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कोटपूतली	60.82	0.90	59.92	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
चौमूं	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
शाहपुरा	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग	63.38	0.90	62.48	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
दौसा	102.50	0.00	102.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सवाई माधोपुर	75.79	1.20	74.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
करौली	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग	178.29	1.20	177.09	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सीकर	115.96	16.55	99.41	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
झुंझुनू	221.18	4.97	216.21	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
चूरू	167.69	29.90	137.79	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सुजानगढ़	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग	504.83	51.42	453.41	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अलवर	251.03	35.42	215.61	14.11	0.00	1.17	3.54	0.00	12.93	42.18	59.82
ाहजहाँपुर	15.78	0.00	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
भिवाड़ी	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग	266.81	35.42	231.39	13.28	0.00	1.17	3.54	0.00	12.93	42.18	59.82
भरतपुर	42.62	3.84	38.78	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
धौलपुर	383.79	0.54	383.25	0.14	0.00	0.00	4.29	0.00	0.00	0.00	4.29
योग	426.41	4.38	422.03	1.03	0.00	0.00	4.29	0.00	0.00	0.00	4.29
अजमेर	52.83	3.52	49.31	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ब्यावर	4.63	0.34	4.29	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
नागौर	139.06	4.21	134.85	3.03	0.00	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00	0.66
डीडवाना	17.67	0.00	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
टोंक	61.51	1.10	60.41	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
किशनगढ़	11.48	0.00	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
केकड़ी	18.50	3.63	14.87	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग	305.68	12.80	292.88	4.19	0.00	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00	0.66
जोधपुर	88.55	18.07	70.48	20.41	0.00	13.43	0.00	0.00	3.18	0.34	16.95
बाड़मेर	78.04	0.00	78.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जैसलमेर	33.99	4.05	29.94	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	8.79	4.01	12.80
बालोतरा	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
फलौदी	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग	201.02	22.12	178.90	11.00	0.00	13.43	0.00	0.00	11.97	4.35	29.75
पाली	30.12	3.15	26.97	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सिरोही	3.40	0.77	2.63	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जालौर	9.26	0.00	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
आबूरोड़	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
भीनमाल	22.85	22.85	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग	65.63	26.77	38.86	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उदयपुर	305.99	35.14	270.85	11.48	0.00	0.00	10.92	0.00	3.24	6.76	20.92
डूंगरपुर	23.75	1.12	22.63	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
रतनपुर	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
बांसवाड़ा	17.08	1.82	15.26	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
राजसमंद	46.12	0.00	46.12	0.00	0.00	0.00	0.98	0.00	0.00	12.48	13.46
योग	392.94	38.08	354.86	9.69	0.00	0.00	11.90	0.00	3.24	19.24	34.38
चित्तौड़गढ़	35.57	0.44	35.13	1.24	0.00	0.00	7.23	0.00	0.00	0.00	7.23
प्रतापगढ़	21.76	0.27	21.49	1.24	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.19
भीलवाड़ा	17.58	5.96	11.62	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ाहपुरा	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग	74.91	6.67	68.24	8.90	2.19	0.00	7.23	0.00	0.00	0.00	9.42
कोटा	178.94	1.53	177.41	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
बून्दी	24.79	2.80	21.99	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
झालावाड़	64.88	11.02	53.86	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
बांरा	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
रामगंजमंडी	0.00	0.53	-0.53	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग	268.61	15.88	252.73	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
बीकानेर	117.01	45.89	71.12	39.22	0.00	0.00	6.13	0.00	0.00	0.00	6.13
गंगानगर	1115.53	15.83	1099.70	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
हनुमानगढ़	116.49	0.86	115.63	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65	0.00	1.65
नोहर	88.71	15.20	73.51	17.13	0.00	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.64
नोखा	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग	1437.74	77.78	1359.96	5.41	0.00	0.00	6.77	0.00	1.65	0.00	8.42
महायोग	6394.27	364.12	6030.15	5.69	5.23	14.60	41.11	0.00	29.79	65.77	156.50

1